



हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, इंडिया हैबिटेड सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

सीआईएन: एल74899डीएल1970जीओआई005276

वेबसाइट: www.hudco.org.in , ई-मेल: cswhudco@hudco.org

फोन: 011-24649610-21, 24648193-95

प्रिय शेयरधारक,

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश पर स्रोत कर कटौती के संबंध में सूचना/संचार।

हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.05 रुपये अर्थात 10.50% का अंतिम लाभांश देने की अनुशंसा की है, जो सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को होने वाली 55^{वीं} वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है।

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की आवासीय स्थिति और वर्गीकरण के आधार पर, शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए, कंपनी को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक होगा।

रियायती दरों पर कटौती सहित स्रोत पर कर कटौती से छूट का दावा करने के लिए, शेयरधारकों को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित आवश्यक दस्तावेज़ dividend.tax@hudco.org पर **10 सितंबर, 2025 (शाम 5 बजे)** तक जमा करने होंगे। 10 सितंबर, 2025 (शाम 5 बजे) के बाद प्राप्त दस्तावेज़ों और/या अपूर्ण दस्तावेज़ों पर विचार नहीं किया जाएगा।

डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) या बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, आपको स्थायी खाता संख्या (पैन) के आधार पर निवासी शेयरधारक या अनिवासी शेयरधारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और व्यक्ति/कंपनी/फर्म/एचयूएफ/एओपी/ट्रस्ट/अन्य इकाई के रूप में उप-वर्गीकृत किया गया है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई बदलाव होता है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने कर आवासीय स्थिति, स्थायी खाता संख्या (पैन) जैसे रिकॉर्ड अपडेट करें और यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं तो अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण पंजीकृत करें और यदि डीमटेरियालाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, तो कंपनी के आरटीए के साथ।

निवासी और गैर-निवासी शेयरधारकों के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

गैर-निवासी शेयरधारकों के लिए

आयकर अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती निम्नानुसार की जाएगी-

यदि वैध पैन उपलब्ध है/उपलब्ध है/पंजीकृत है	10% या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
यदि वैध पैन उपलब्ध नहीं है/उपलब्ध नहीं है/पंजीकृत है	20% या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
आयकर विभाग द्वारा जारी कम/शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले सदस्य आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अंतर्गत	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर

इसलिए, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए को अपना पैन प्रस्तुत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत ऐसा करें।

निम्नलिखित को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा:

क) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, यदि:

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी द्वारा देय कुल लाभांश की राशि कुल मिलाकर 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी; और
- ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15जी (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15एच) प्रदान करता है, फॉर्म 15जी/15एच या उपरोक्त वर्णित कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने वाले सदस्यों के लिए पैन की स्व-सत्यापित प्रति अनिवार्य है।

ख) बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश कोष, नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट, केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम और अन्य गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, बशर्ते कि कंपनी की संतुष्टि के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

शेयरधारक की श्रेणी	आवश्यक दस्तावेज़
बीमा कंपनी	स्व-घोषणा कि वे शेयरों के लाभकारी स्वामी हैं, साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र और पैन की स्व-सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
म्यूचुअल फंड्स	स्व-घोषणा कि वे आईटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, साथ ही पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड (एआईएफ) स्थापित/भारत में निगमित	एक स्व-घोषणा कि उनकी आय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त है और वे सेबी विनियमों के तहत श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में स्थापित और शासित हैं, साथ ही पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट	एक स्व-घोषणा कि वे आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित हैं साथ ही पैन और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति
केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम	दस्तावेजी साक्ष्य कि निगम आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत आता है और साथ ही पैन और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
अन्य गैर-व्यक्तिगत निवासी शेयरधारक	आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत कर कटौती से छूट प्राप्त शेयरधारकों और आयकर अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों के पैन की सत्यापित प्रति के साथ दस्तावेजी साक्ष्य।

गैर-निवासी शेयरधारकों के लिए:

आयकर अधिनियम की धारा 195 और अन्य लागू धाराओं के प्रावधानों के अनुसार, लागू दरों पर करों की कटौती की जानी आवश्यक है। टीडीएस 20% (लागू अधिभार और उपकर सहित) या कर संधि दर, जो भी कम हो, की दर से लिया जाएगा।

हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, गैर-निवासी शेयरधारकों के पास भारत और सदस्य के कर निवास के देश के बीच दोहरे कर बचाव समझौते (डीटीए) के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है, यदि वे उनके लिए अधिक लाभदायक हों। इस उद्देश्य के लिए, अर्थात् डीटीए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, अनिवासी शेयरधारकों को 10 सितंबर, 2025 से पहले निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:

- भारतीय आयकर अधिकारियों द्वारा आबंटित वैध पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति;
- शेयरधारक जिस देश का निवासी है, उसके कर अधिकारियों द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के कर निवास प्रमाण पत्र (टीआरसी) की स्व-सत्यापित प्रति;
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 10एफ। फॉर्म 10एफ को आयकर वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल <https://www.incometax.gov.in/iec/foportal> के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है;
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की लागू कर संधि के अनुसार गैर-निवासी शेयरधारक द्वारा भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान न होने की स्व-घोषणा;
- गैर-निवासी शेयरधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभकारी स्वामित्व की स्व-घोषणा;
- स्व-घोषणा कि गैर-निवासी शेयरधारक वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित कर संधि का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है;
- यदि लागू हो, तो करों की कम कटौती के लिए आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज, जो सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 196डी के अंतर्गत 20% (लागू अधिभार और उपकर सहित) की दर से कर काटा जाएगा।

कंपनी लाभांश राशि पर कर कटौती/रोक के समय लाभकारी कर संधि दरों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। कर कटौती के प्रयोजन हेतु कर संधि की लाभकारी दर का अनुप्रयोग, गैर-निवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

कंपनी शून्य/रियायती दरों पर कर कटौती से छूट का दावा करने के लिए गलत/अपर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए बाद में कंपनी पर लगाई गई किसी भी माँग की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

यदि उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में या देरी से प्राप्त होने के कारण कंपनी द्वारा लाभांश पर कम कर का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो शेयरधारकों के पास आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, यदि पात्र हों, तो उचित धनवापसी का दावा करने का विकल्प होगा। एक बार काटे गए करों के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

विभिन्न स्थिति/श्रेणी के अंतर्गत एकाधिक खाते रखने वाले शेयरधारक

यदि शेयरधारक एक ही पैन के अंतर्गत विभिन्न स्थिति/श्रेणी के अंतर्गत एकाधिक खातों में शेयर रखते हैं, तो पैन के अंतर्गत शेयर रखने की स्थिति पर लागू कर में से जो अधिक होगा, उसे विभिन्न खातों में उनकी संपूर्ण होल्डिंग पर माना जाएगा।

कटौती किये गये कर की जानकारी:

क) कंपनी टीडीएस कटौती के समय मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का लाभ नहीं देगी। शेयरधारक अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस लाभ का दावा कर सकते हैं।

ख) शेयरधारक www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध "अपना टैक्स क्रेडिट देखें" सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, फॉर्म 26एस में क्रेडिट कंपनी द्वारा तिमाही आधार पर टीडीएस रिटर्न दाखिल करने और आयकर विभाग द्वारा संसाधित किए जाने के बाद दिखाई देगा;

ग) शेयरधारक अपने ई-फाइलिंग खातों से <https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/> पर फॉर्म 26एस/एआइएस देख सकते हैं।

घ) यदि शेयरधारकों द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज और विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस काटा/विनियमित किया जाएगा। यदि किसी विशेष मामले में लागू कर दर से अधिक दर पर टीडीएस काटा जाता है, तो शेयरधारक कानून के तहत प्रावधान के अनुसार ऐसे अतिरिक्त टीडीएस की वापसी का दावा कर सकता है। हालाँकि, कंपनी के विरुद्ध टीडीएस की ऐसी कटौती के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकेगा;

ड) शेयरधारक(कों) द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी में किसी भी प्रकार की गलतबयानी, अशुद्धि या चूक के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर माँग (ब्याज, जुर्माना आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही, कंपनी को सभी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराएँगे तथा कंपनी द्वारा की जाने वाली अपीलीय कार्यवाही, यदि कोई हो, में सहयोग करेंगे;

च) इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसे पंजीकृत करा लें। यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो कृपया कंपनी के आरटीए को फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

छ) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया अपने डीपी को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें;

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी को अपने सदस्यों को लाभांश और अन्य नकद लाभ वितरित करने के लिए धन प्रेषण के इलेक्ट्रॉनिक मोड के उपयोग को सक्षम करने के लिए कंपनी के सदस्यों के बैंक विवरण को अद्यतन करना आवश्यक है।

कंपनी द्वारा शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश का शीघ्र/समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीमैट खातों में अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन रखें। यदि शेयर दस्तावेज रूप में हैं, तो यदि आवश्यक हो, तो कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के साथ बैंक खाते के विवरण का आवश्यक अद्यतनीकरण कराया जाना चाहिए।

नोट: टीडीएस से छूट का दावा करने हेतु संबंधित प्रपत्रों तक पहुँचने का लिंक नीचे दिया गया है:

<https://hudco.org.in/writereaddata/TDS-Deduction-Claim-form.pdf>

इस संचार को कंपनी की ओर से कर सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण: उपरोक्त जानकारी कर या कानूनी सलाह नहीं है। कर संबंधी जटिलताओं की व्यक्तिगत प्रकृति को देखते हुए, प्रत्येक निवेशक को सलाह दी जाती है कि वह विशिष्ट कर प्रभावों के संबंध में अपने कर सलाहकारों से परामर्श करें।
